उत्तर प्रदेश शासन

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्याः 292 (अ)/90-सं0-1-2015-41 सं/2012,

लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 सांसदों एवं मा0 विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों में किये गये पत्राचार एवं उनसे सम्बन्धित शिष्टाचार की मानीटरिंग हेतु संसदीय कार्य विभाग के अधीन स्थापित/गठित "संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन प्रभाग" को अनुभाग में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप "संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग" के कार्य सम्पादित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय उक्त प्रभाग के लिए संसदीय कार्य अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-849/90-सं-1-2013-41 सं/2012, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 द्वारा सृजित समीक्षा अधिकारी के 01 अस्थाई पद एवं कम्प्यूटर सहायक के 01 अस्थाई पद के अतिरिक्त अनुभाग अधिकारी का 01 अस्थाई पद वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400/- , समीक्षा अधिकारी के 02 अस्थाई पद वेतन बैण्ड रु0 9,300-34,800, ग्रेड वेतन रु0 4,800/- एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 02 अस्थाई पद वेतन बैण्ड रु0 9,300-34,800, ग्रेड वेतन रु0 4,600/- में सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अस्थाई पद आदेश जारी होने की तिथि से 29 फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए, यदि इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाए, सृजित किये जाते हैं तथा आगे भी आवश्यकता पड़ने पर इनकी निरन्तरता जारी की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर -00-90-सचिवालय- 03-सचिवालय की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-5-620/दस-2015, दिनांक 15 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

[redacted]

अनिरुद्ध सिंह

प्रमुख सचिव।

संख्याः 292 (अ) (1)/90-सं0-1-2015-41 सं/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग,
(4) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनु0-1/2/3/4/5/6
(5) सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
(6) सचिवालय प्रशासन कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
(7) सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग-10/11/12
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) न्याय अनुभाग-8 (लेखा/लेखा प्रकोष्ठ)।
(10) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
(11) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (प्रत्येक को 6-6 प्रतियों में)।
(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(13) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
(15) विधान परिषद् सचिवालय (समिति) अनुभाग-2

आज्ञा से,

जगदीश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।